आधसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2002

का.आ. 1126(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण क खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 422(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पेरेंटस एसोसिएशन फार दी वेलफेयर आफ चिल्ड्रन विद मेन्टल हैण्डीकैप, जेनेटिक यूनिट,बालरोग विभाग,अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 द्वारा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सेक्टर-बी, साईट नं0 3, वंसत कुंज, नई दिल्ली में भूमि का विकास, और स्कूल/वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेरेंटस एसोसिएशन फार दी वेलफेयर आफ चिल्ड्रन विद मेन्टल हैण्डीकैप, जेनेटिक यूनिट,बालरोग विभाग, अखिल भरतीय आर्युवेदिक संस्थान अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 द्वारा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सेक्टर-बी, साईट नं0 3, वंसत कुंज, नई दिल्ली में भूमि का विकास, और स्कूल/वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर भवन के निर्माण की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र दो सौ लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 324-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)